भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1231

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

उद्योग-अनुरूप कौशल विकास

1231. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के बावजूद, बड़ी संख्या में युवा अपनी प्रशिक्षण योग्यताओं के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं (जैसे पीएमकेवीवाई आदि) के अंतर्गत प्रशिक्षित, प्रमाणित और लाभकारी रूप से नियोजित युवाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग की आवश्यकताओं और रोजगार क्षमता के बीच के अंतर के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने, उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने और कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.4 प्रतिशत हो गई है।

देश के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एमएसडीई के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रशिक्षित और प्रमाणित लाभार्थियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के तहत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए इस योजना के पहले तीन संस्करणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई थी। पीएमकेवीवाई 1.0 से 3.0 के तहत कुल 1.11 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया था, जिनमें से योजना के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत 24.38 लाख उम्मीदवारों के प्लेसमेंट की सूचना मिली थी। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत मुख्य ध्यान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसरों को चुनने के लिए सशक्त बनाने पर है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त किया जाता है।

पीएमकेवीवाई: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने एसटीटी उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है। प्रशिक्षण से पहले नियोजित और स्व-नियोजित एसटीटी उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा 26.6% था, जो पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद बढ़कर 45.4% हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। आय संबंधी परिणाम भी सकारात्मक हैं, जिसमें 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% आरपीएल उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि की सूचना दी है। कुल मिलाकर, पीएमकेवीवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है और लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से के लिए कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया, ताकि योजना की पहुंच, प्रभावशीलता और आजीविका परिणामों का आकलन किया जा सके। मूल्यांकन में योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों

को उजागर किया गया, जिसमें 33.94 लाख व्यक्ति नामांकित हुए, जिनमें से 32 लाख को प्रशिक्षित किया गया और 31.52 लाख को प्रमाणित किया गया, जो 99 प्रतिशत की समग्र सफलता दर को दर्शाता है। कुल प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत थी, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी हाशिए पर स्थित वर्गों से थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग (37 प्रतिशत) शामिल हैं। आजीविका पर प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत पूर्व छात्र अर्जित कौशल का उपयोग आय सृजन के लिए कर रहे हैं, 82 प्रतिशत प्रशिक्षण के छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कार्यरत हो गए हैं और 60 प्रतिशत पूर्व में न कमाने वाले व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद कमाई शुरू कर चुके हैं। लाभार्थियों की औसत मासिक आय में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।

एनएपीएस: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (पीएमएनएपीएस-2) का वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर) एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा किया गया, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन अवधि के दौरान पीएमएनएपीएस 2 ने उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया, जिसमें 46 लाख के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया, जो लगभग 75 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि को दर्शाता है। डीबीटी के संस्थागतकरण से वित्तीय पारदर्शिता और पूर्वानुमान में सुधार हुआ है। संचयी डीबीटी वितरण 1,094 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें वार्षिक संवितरण वित्त वर्ष 2023-24 में 327.2 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 500.16 करोड़ रुपए हो गया।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण को मजबूत करने और कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।
iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई

के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v. पीएमकेवीवाई के तहत, नई पीढ़ी/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित उद्योग के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक समूह बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

ix. कौशल मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

x. सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण और रोजगार क्षमता में परिवर्तन) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। पीएम-सेतु का मुख्य उद्देश्य उद्योग-आधारित शासन के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार करना है और यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसके तहत शिक्षार्थियों (शुरुआती चरण के उद्यमों और पहली बार उद्यम करने वालों सहित) को उद्योग से संबंधित कौशल अर्जित करने, वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव प्राप्त करने और सुदृढ़ संस्थागत प्रणालियों और उद्योग संबंधों के माध्यम से करियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता और स्वरोजगार सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है।

अनुबंध

'उद्योग-अनुरूप कौशल विकास' के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 30.06.2026 तक प्रशिक्षित और प्रमाणित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीटीएस/आईटीआई		पीएमकेवाई		जेएसएस		नैप्स (एनएपीएस)	
	प्रशिक्षित*	प्रमाणित**	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित
अंडमानऔर निकोबार द्वीप समूह	3129	1783	1600	1456	8097	8090	566	188
आंध्र प्रदेश	250950	150491	85101	53954	60263	60171	1,08,595	23,245
अरुणाचल प्रदेश	3270	1881	18258	12245	0	0	443	71
असम	22354	12609	118895	75944	52376	52185	49,064	8,870
बिहार	559901	329091	171563	116880	197653	193626	34,400	6,327
चंडीगढ़	4973	2894	2077	1649	9332	9059	6,387	1,233
छतीसगढ	113569	57830	34819	21230	129809	127701	25,931	14,891
दिल्ली	48661	27073	27203	18720	29711	29610	1,10,755	9,203
गोवा	11026	6396	635	479	9759	9678	46,146	4,065
गुजरात	433939	204900	61863	38903	86745	86145	4,54,358	1,06,241
हरियाणा	254079	138055	104960	78307	33618	32422	3,47,573	91,408
हिमाचल प्रदेश	102168	70667	32935	25682	92335	91928	45,132	5,188
जम्मू और कश्मीर	42969	22611	107487	85856	6893	5943	5,137	1,012
झारखंड	194035	104983	62874	41874	101722	101128	52,068	24,061
कर्नाटक	354316	184540	87274	61038	114745	114647	4,14,168	57,117
केरल	164007	107873	32514	22279	88874	88646	67,995	29,481
लद्दाख	1661	843	1570	911	1529	717	198	87
लक्षद्वीप	1588	915	240	52	5177	5097	41	44
मध्य प्रदेश	355003	172218	336337	233834	275669	274262	1,32,103	29,991
महाराष्ट्र	609589	353917	121226	79025	203879	201813	12,35,721	2,25,703
मणिपुर	3203	1212	28522	21139	38419	36401	582	24
मेघालय	3952	2219	10998	6617	6999	6999	1,047	136
मिजोरम	1574	809	13335	8161	7057	7023	468	16
नागालैंड	1396	761	11748	6917	9542	9354	161	9
ओडिशा	293410	148741	55462	34868	267840	265561	54,647	21,858
पुदुचेरी	3621	1815	6506	4426	0	0	16,092	1,759
पंजाब	208592	104017	141464	114422	17883	17880	88,713	16,204
राजस्थान	483608	242522	320501	265721	79759	79536	1,04,539	19,285
सिक्किम	1701	977	7348	3416	0	0	1,959	114
तमिलनाडु	179286	87432	130696	98964	79551	78898	5,01,962	49,263
तेलंगाना	157277	79767	49939	34652	58117	58050	2,01,648	45,428
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3680	1976	2118	1591	14447	14243	13,992	700
त्रिपुरा	11479	4745	18969	14039	18654	18607	2,072	459
उत्तर प्रदेश	1578759	722942	544614	412262	461298	459201	3,76,242	63,435
उत्तराखंड	51411	26714	47143	32996	76175	75640	1,08,084	12,073
पश्चिम बंगाल	193668	121964	89749	56665	71682	71187	1,41,446	23,449

*वित्तीय वर्ष 2025-26 तक का प्रशिक्षित डेटा

**वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रमाणित आंकड़े
